माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(Setup by Act.No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in

छात्रावास के नियम एवं प्रावधान

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रावास के निम्नालिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है –

छात्रावास में प्रवेश नियम –

1. विश्वविद्यालय छात्रावास में प्रवेश स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय) को केवल दो वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को केवल 1 वर्ष के लिए होगा। इस अवधि के पश्चात छात्रावास को खाली करना अनिवार्य होगा।
2. शारीरिक रूप से अक्षम/विकलांग स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन विभाग में देना होगा। आवंटित स्थानों के आधार पर विभाग द्वारा भेजे गये आवेदन पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास में रहना चाहता है तो उसे निम्न स्थितियों में छात्रावास आवंटित किया जा सकता है –

(अ) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रथम वर्ष प्रवेश की तिथि उपरान्त यदि छात्रावास में रिक्त स्थान है तो स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को रिक्त स्थान पूरे होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ब) विद्यार्थी को छात्रावास में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि विद्यार्थी पूर्व में छात्रावास में रहने के रहने दौरान छात्रावास में अनुशासित रहे हो, पूर्णतः नियमों का पालन किया हो एवं विश्वविद्यालय या छात्रावास की किसी भी अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल न रहे हो।

(स) सीमित स्थान पर किन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है प्राप्त आवेदनों पर विचार कर, अनुमोदन वरिष्ठ स्तर से या वरिष्ठ स्तर से गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा।

छात्रावास शुल्क नियम-

1. छात्रावास शुल्क वेबसाईट पर उपलब्ध शुल्क विवरण के आधार पर किश्त निर्धारित माह की दिनांक 10 तक जमा करना होगा।
2. छात्रावास शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात उपरोक्त उल्लेखित निर्धारित माह की 11 तारीख से 20 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रू. 50/– एवं माह की 21 तारीख से 30 तारीख तक विलम्ब शुल्क राशि रू. 100/– तत्पशत राशि रू. 500/– देय होगा। **(अका. /2024/2094 दिनांक 06.02.2024)**
3. निविदा दरों के आधार पर मैस शुल्क में परिवर्तन, बढोत्तरी होना स्वाभाविक है। इस आधार पर छात्रावास शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।
4. छात्रावास की सुविधा वार्षिक है। अतः यदि विद्यार्थी किसी भी कारण से शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास खाली करता है या उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तो इस स्थिति में विद्यार्थी की कॉशनमनी वापस नहीं होगी।

Prof. (Dr.) P. Sasikala
Registrar

5. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास खाली करना चाहता है तो कम से कम एक माह पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस अवधि में यदि त्रैमासिक शुल्क की तिथि आती है तो विद्यार्थी को त्रैमासिक शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के सत्र के मध्य में छात्रावास खाली करता है अथवा उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तब भी उसे छात्रावास का पूरा त्रैमासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। (अका./2024/2094 दिनांक 06.02.2024) एवं उसकी जमा छात्रावास कॉशनमनी राशि वापस नहीं होगी। **(अका./2024/246 दिनांक 15.05.2024)**

6. विद्यार्थियों की जमा छात्रावास कॉशनमनी उपरोक्त पाठ्यक्रम समाप्ति तिथि से छः माह की अवधि में छात्रावास अदेय (नोड्यूज) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें पर वापस की जायेगी। विद्यार्थी को अपना स्वंय का बैंक विवरण देना अनिवार्य होगा। कॉशनमनी वापसी का आवेदन करते समय सम्बन्धित विद्यार्थी को जमा की गई कॉशनमनी की मूल रसीद एवं जमा की गई अंतिम शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगी। इस अवधि में कॉशनमनी नहीं लिये जाने पर विद्यार्थी की कॉशनमनी वापस लेने की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी। **(अका./2024/2094 दिनांक 06.02.2024)।**

7. विद्यार्थी द्वारा यदि कोई अर्थदंड/जुर्माना समय पर जमा नहीं किया गया है तो उसकी प्रतिपूर्ति विद्यार्थी द्वारा जमा की गई कॉशनमनी से की जायेगी।

8. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश के एक माह पश्चात विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एवं छात्रावास दोनों खाली करता है तो उसे छात्रावास की प्रथम किश्त पूरी देनी होगी। (अका./2023/1508 दिनांक 31.10.2023)
(छात्रावास में प्रवेश लेने के उपरान्त कोई भी विद्यार्थी अपना नाम/प्रवेश निरस्त करवाता है तो विद्यार्थी द्वारा प्रवेश की तिथि से प्रथम दो माह में छात्रावास छोड़ने पर प्रतिभूति राशि को छोड़कर 50 प्रतिशत जमा राशि कटौती की कटौती की जोयगी। उसके उपरान्त शुल्क के नियम पूर्ववत रहेंगे।) शुल्क समिति की अनुशंसा दिनांक 01.04.2025

9. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता है तो विभाग के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्याथियों को आवेदन के त्रैमासिक शुल्क के साथ प्रथम किश्त की कॉशनमनी एवं संधारण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

<u>छात्रावास नियम</u> –

1. रैगिंग पूर्णतया वर्जित हैं, किसी भी रूप में रैंगिग अर्थात अप्रिय शोर करना, उच्छंखल आचरण करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या होने की सम्भावना होती है या नए विद्यार्थियों के लिए शंका, शर्म या शर्मिदगी पैदा होती है चाहे शब्दों से मौखिक, लिखित या किसी ऐसे कार्य द्वारा जिसमें चिढ़ाना, गाली देना, ऐसे विद्यार्थियों पर व्यावहारिक चुटकुले खेलना या उन्हे चोट पहुंचाना शामिल है या नए विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए कहना या ऐसी चीज करना है जो सामान्य स्थिति में ऐसा विद्यार्थी स्वेच्छा से नहीं करेगा , ऐसा कार्य निषेध होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रैंगिग में शामिल या उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय से दंडित/निष्काषित/निलम्बित किया जायेगा और रिट याचिका संख्या 656/1998 (सी) पर भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अभियोजन कें लिए भी उत्तरदायी होगा। रैंगिंग एक अपराध है। कोई भी कानून से अनभिज्ञ होने का नाटक नहीं कर सकता है। रैगिग निषेध अधिनियम 1997 के तहत रैंगिग करने वालों को दंडित किया जा सकता हैं रैंगिग के लिए छह महीने से 10 साल तक की जेल और रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक का जुर्माना है।

2. किसी भी रूप में नशीले पदार्थो का सेवन करना या अपने पास रखना जैसे– ड्रग्स, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा आदि दंडनीय अपराध हैं ऐसा पाये जाने पर उसे छात्रावास के साथ–साथ विश्वविद्यालय ये भी निष्काषित किया जायेगा।

Prof.(Dr.) P. Sasikala
Registrar

3. छात्रावास में किसी भी सामुहिक आयोजन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, संगोष्ठी करने की अनुमति नहीं है। उक्त कार्यो के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
4. बिना अनुमति उक्त कार्यो में शामिल विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. विश्वविद्यालय/छात्रावास में तोड़-फोड़/सम्पत्ति नुकसान के संदर्भ में अकादमिक गतिविधि नियम-2 के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दंडित किया जा सकेगा।
6. आगंतुकों/माता-पिता को कार्य दिवसों में सुबह 8.00 बजे से 11.00 बजे तक और शाम 6.00 से 8.00 बजे के बीच और छुट्टी के दिन सुबह 11.00 बजे से शाम 8.00 बजे के बीच में विद्यार्थियों से मिलने की अनुमति होगी। कोई भी विद्यार्थी अपने माता-पिता सहित किसी भी आंगतुक को कमरे में नहीं ले जायेगा। माता-पिता को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहयोग करने का वचन देना होगा और बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
7. विद्यार्थियों को रात 8.30 बजे (माह जुलाई से फरवरी) एवं 9 बजे (माह मार्च से जून तक) के बाद छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं हैं। कोई भी विद्यार्थी रात्रि 8.30/9.00 बजे उपरोक्तानुसार से प्रातः 6.00 बजे तक छात्रावास से अनुपस्थित नहीं रहेगा। जब तक कि उसने छात्रावास वार्डन से अनुमति नहीं ली हो। विद्यार्थियों को रात्रि विश्राम की अनुमति केवल सप्ताह के अंत में दी जायेगी इस हेतु माता-पिता और विभागाध्यक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा साथ अवकाश सप्ताह के दौरान स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
8. सभी विद्यार्थी निर्धारित समय के अनुसार रोल कॉल (उपस्थिति) के लिए रिपोर्ट करेंगे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. छात्रावास में रहवासी विद्यार्थियों से सहयोगी स्टाफ एवं कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार एवं भाषा का उपयोग आपेक्षित है।
10. छात्रावास की सेवा का उपयोग निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नगद या वस्तु के रूप में कोई राशि/सामान नहीं दिया जाए।
11. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से जुड़ी मेस में भोजन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को भोजन कक्ष में ही भोजन करना है। हॉस्टल वार्डन की पूर्व अनुमति से बीमार बताए गये विद्यार्थी को छोड़कर किसी को भी छात्रावास कक्ष में भोजन करने की अनुमति नहीं है। कमरों में चाय,/कॉफी नूडल्स बनाने सहित अन्दर खाना पकाने की सख्त मनाही हैं।
12. सुबह का नाश्ता प्रातः 8.00 बजे से 9.30 बजे के बीच होगा। दोपहर का भोजन 1.00 बजे से 2.30 बजे तक एवं रात्रि भोजन का समय 8.00 बजे से 9.30 तक रहेगा। भोजन के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

अकादमिक गतिविधि के तहत नियम -

1. छात्रावास के कमरे फर्नीचर और उपकरणों की फिटिंग से सुसज्जित हैं। कमरे में रहने वाला विद्यार्थी वस्तु सूची रजिस्टर में वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर करेगा। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर कमरों को छोड़ते समय वी छात्रावास प्राधिकारियों को उनकी मूल सेवा योग्य स्थिति में वस्तुओं को सौंपने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

Prof. (Dr.) P. Sasikala
Registrar

2. भोजन कक्ष के फर्नीचर, कमरे के फर्नीचर या छात्रावास के किसी भी फर्नीचर/सम्पत्ति/दीवार या फिटिंग को खराब करना सख्त वर्जित है। यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा नुकसान पहूंचाने का का प्रयास किया जाता है तो उससे/समूह से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की लागत का दोगुना मूल्य वसूल किया जायेगा। छात्रावास की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की बार-बार की गई हरकतों के परिणाम स्वरूप छात्रावास से निष्काषित किया जायेगा।
3. विद्यार्थियों को रात्रि 10.00 बजे के बाद खाद्य सामग्री/अन्य की डिलीवरी स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। मंगवाये गये खाद्य सामग्री की मूल रसीद छात्रावास में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. अपने सामान की सुरक्षा के लिए विद्यार्थी स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरों में बड़ी मात्रा में नगदी या कीमती सामान जैसे सोने की अंगूठी, मंहगी कलाई घड़ी आदि न रखे। विद्यार्थी अपने पर्सए कैलकुलेटर, सेल फोन, लैपटाप, कम्प्यूटर, किताबों आदि की भी सुरक्षा करेंगे। किसी वस्तु के चोरी होने या खो जाने की स्थिति में छात्रावास के अधिकारी/विश्वविद्यालय ऐसे नुकसान कि लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
5. कम्प्यूटर, टेबल लैंप, प्रेस और मोबाईल चार्जर को छोड़कर किसी भी प्रकार के बिजली उपकरण का उपयोग वर्जित है। यदि विद्यार्थी आयरन या इलेक्ट्रिक कैटल का उपयोग करना चाहते है तो वार्डन से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में विद्यार्थी को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
6. कमरे में कोई न हो तो लाईट और पंखे अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। ऐसा न पाये जाने पर विद्यार्थी के खिलाफ पहली बार चेतावनी दी जायेगी और अगर इसे दोबारा दोहराया गया जो विद्यार्थी पर जुर्माना सहित कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया के किसी भी सदस्य को छात्रावास के संबंध में कोई जानकारी या साक्षात्कार देने से पहले या छात्रावास के संबंध में किसी भी जानकारी से युक्त कोई भी भाषण देने से पहले विद्यार्थियों को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
8. छात्रावास में किसी भी तरह की फिल्म /विडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। अकादमिक गतिविधि के तहत आवश्यक होने पर विभाग द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर ही विभागीय शिक्षक की उपस्थिति में निर्धारित समय और स्थान पर वार्डन के दिशा-निर्देश के तहत अनुमति दी जा सकेगी।
9. विश्वविद्यालय/छात्रावास के वार्डन समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उपरोक्त नियमों का उल्लघंन करता पाया गया तो उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाई (जैसे- निष्कासन या अर्थदंड) की जाएगी।
10. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास प्रशासन की अनुमति के बिना छात्रावास से बाहर रहता तो उस विद्यार्थी को तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
11. किसी भी विद्यार्थी को वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एक कमरे से दूसरे कमरे/कमरा बदलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी फर्नीचर को एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानान्तरित किया जाएगा।
12. विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य दिवसों/कक्षाओं के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति नही है। जब तक कि बीमारी या उचित कारण से छात्रावास में रहने की स्थिति अपरिहार्य न हो। ऐसे मामलों में उन्हें लिखित रूप वार्डन की अनुमति लेनी होगी।
13. छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को कमरे के बाहर/छात्रावास परिसर/कॉरिडोर में पहनावे के प्रति मर्यादा रखनी होगी।
14. विद्यार्थी अपने कमरे, बरामदे और आस-पास के क्षेत्रों को हर समय साफ-सफाई से रखेंगे।

Prof.(Dr.) P. Sasikala
Registrar

कचरा कूडेदान के अलावा ओर कहीं न हो। छात्रावास में यहां–वहां थुकना मना है।

15. छात्रावास में शांति बनाये रखना होगा। कमरें के बाहर संगीत, तेज आवाज सुनाई न दे। किसी भी तरह के उत्सव और शोर–शराबे की अनुमति छात्रावास प्रागंण में नहीं दी जा सकेगी।
16. छात्रावास में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन प्रतिबन्धित हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, जन्मदिन आदि मनाने के लिए वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। समारोह रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच एक से दो घंटे के लिए छात्रावास परिसर में आयोजित किया जायेगा। किसी बाहरी अतिथि को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
17. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उन्हें छात्रावास में आने या रात में रूकने की अनुमति नहीं होगी।
18. गीले कपड़ों को फर्नीचर पर नहीं सुखाया जायेगा। बालकनियों में दी गई जगह को ही कपड़े इत्यादि के लिए उपयोग करना होगा। अन्य जगह पर कपडों को सूखता हुआ पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।
19. विद्यार्थी परिसर में मछली, बिल्ली, कुत्ते आदि सहित कोई भी पालतू जानवर नहीं लायेंगे या रखेंगे।
20. विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक या साम्प्रदायिक गतिविधि जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक हो या विश्वविद्यालय के खिलाफ हो में शामिल नहीं होगे। विद्यार्थी राजनीतिक या साम्प्रदायिक मामलों सहित किसी भी चीज या किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रचार–प्रसार नहीं करेगें।
21. यदि कोई विद्यार्थी सीमित समयावधि के लिए छात्रावास में रहना चाहता है तो इस दौरान कक्ष खाली होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के ट्रजिस्ट छात्रावास (बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर भवन) के लिए निर्धारित किराये की आधी दरों पर छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है। विद्यार्थी को मैस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भोजन के लिए विश्वविद्यालय की कैंटीन से भोजन की व्यवस्था स्वंय कर सकते है। उक्त प्रकरण में माननीय कुलपतिजी की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा शुल्क ऑफ लाईन जमा होगी। **(अका. / 2024 / 2094 दिनांक 06.02.2024)**
22. छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा समाप्ति के उपरान्त पुनः कक्ष आवंटन कि लिए छात्रावास को खाली करना अनिवार्य होगा ताकि इस दौरान छात्रावास एवं कक्षों का रख–रखाव कार्य सम्पन्न हो सके। विद्यार्थी को अधिकतम 15 जून या अन्तिम परीक्षा तिथि तक छात्रावास में रहने की अनुमति होगी। **(अका. / 2024 / 2094 दिनांक 06.02.2024)**
23. विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावको को इस आशय का वचन पत्र (Undertaking) देना अनिवार्य होगा कि वह छात्रावास के सभी नियमों से सहमत है एवं उनका विधिवत अनुपालन करेंगे।
24. मेस संधारण सम्बन्धित सुझाव / शिकायतों के लिए छात्रावास में रजिस्टर उपलब्ध होगा। विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते है। किसी अन्य समस्या / शिकायत हेतु विद्यार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चीफ वार्डन को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
25. विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Prof. (Dr.) P. Sasikala
Registrar

अन्य निर्देश –

1. छात्रावास से बाहर रहने, स्थानीय अभिभावक के घर रूकने की लिखित अनुमति कार्यालयीन दिवसों में एक दिन पूर्व अपने विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर चीफ वार्डन के माध्यम से छात्रावास प्रभारी के पास जमा करवायें। अनुमति के अभाव में बाहर जाने एवं रूकने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
2. विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश है कि छात्रावास के समय का अनुपालन करें। बिना अनुमति देर से आने पर 100/– अर्थ देय होगा। पुनरावृत्ति होने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है।
3. छात्रावास में विद्याथियों की उपस्थिति रजिस्टर में निर्धारित समय पर स्वंय आकर उपस्थिति दर्शाना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लगातार अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जायेगी तथा 50/– रूपये (प्रति अनुस्थिति) अर्थदंड देय होगा।
4. छात्रावास में विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा परिचय कराये गये स्थानीय संरक्षक ,अभिभावक का पूरा नाम, पता, फोन नम्बर आदि के साथ फोटो देना अनिवार्य है।
5. छात्रावास में स्थान स्वंय के निवास हेतु तथा केवल शिक्षा अध्ययन के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक ,अवैधानिक कार्य सिगरेट, गुटका शराब आदि नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। छात्रावास परिसर में बाहर से भी नशा करके आना मना है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में लिप्त होने पर हॉस्टल प्रशासन द्वारा विद्यार्थी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी या छात्रावास से निकाला भी जा सकता है।
6. रहवासी विद्यार्थी अपना वाहन चिन्हित पार्किंग में ही खड़ा करेंगें
7. विद्यार्थियों को रहवासी क्षेत्र, पानी की टंकी, पॉवर प्लांट, जंगल झाड़ियों, केबल नालियों इत्यादि में जाना प्रतिबंधित है।
8. किसी भी प्रकार की पूर्व गम्भीर बीमारी के बारें चीफ वार्डन/प्रभारी को जानकारी देना आवश्यक है।
9. अपने सामान की हिफाजत रखना विद्यार्थी की स्वंय जिम्मेदारी है। किसी भी विद्यार्थी के रूपये, मोबाईल, घड़ी, कपड़े आदि सामान गुम हो जाने पर छात्रावास प्रबधंक की कोई जिम्मदारी नहीं रहेगी।
10. छात्रावास के कमरे में पंखा, टयूबलाईट, बल्ब के अलावा अन्य विद्युत उपकरण जैसे–, इंडक्शन, पानी गर्म करने की रॉड इत्यादि का उपयोग करना सख्त मना है, उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करते जाने पर अर्थदंड 200/– तक देय होगा।
11. छात्रावास की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को पूरा हर्जाना देना होगा। सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी नहीं होने पर या अन्य विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर सभी विद्यार्थियों की कॉशनमनी से हर्जाने का रूपया काटा जायेगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. छात्रावास के कमरों, दीवार, अलमारी, खिड़की, दरवाजों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, लाईटिंग, स्केच बनाना, स्टीकर चिपकाना इत्यादि सख्त मना है। दीवाली, होली, रंगपचंमी आदि के समय हॉस्टल के कमरे, दीवार गंदी नहीं करें अन्यथा अर्थदंड 500/– देय होगा।
13. विद्यार्थियो ं को उपलब्ध करवायी गई अलमारी एवं लॉफ्ट की चाबी गुम हो जाने एवं नयी चाबी बनाने का वास्तविक व्यय विद्यार्थी को देना होगा।
14. पानी अमूल्य है अतः व्यर्थ न बहाएं। पानी की जो भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, उसको मान्य करना होगा। सर्दियों में गर्म पानी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में उपलब्ध होगा। गर्मियों में पानी मार्च, अप्रैल, मई, जून प्रातः 7 से 10 बजे एवं

Prof.(Dr.) P. Sasikala
Registrar

शाम 5 से 7 बजे पर ही पानी की मोटर चालू की जायेगी। (यदि किसी कारणवश पानी की सप्लाई में दिक्कत होती है तो तत्कालीन व्यवस्था जो भी उपलब्ध होगी स्वीकार्य करना होगा। बाथरूम के नल एवं गीजर बन्द करना आवश्यक है।

15. रात्रि 11 बजे के बाद अपने कमरे , बालकनी आदि स्थानों पर तेज संगीत, नाच–गाना और शोर मचाना जिससे दूसरें कमरों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो दंडनीय है। उक्त निर्देश का पालन न करने पर अर्थ दंड रूपये 200/– प्रत्येक तक हो सकता है।
16. कमरे के बाहर जाते समय टयूबलाईट, पंखे, बन्द करके जाना अनिवार्य है अन्यथा कमरे के रहवासी विद्यार्थी को प्रतिदिन 100/– जुर्माना देना होगा।
17. गीले कपड़े फर्नीचर पर सुखाने की अनुमति नहीं है। बालकनियों में दी गई जगह पर ही कपड़े सुखाने की अनुमति होगी। अन्य जगह पर कपड़े सुखाये जाने पर राशि रू. 50/– जुर्माना देना होगा।
18. विद्यार्थी को जुर्माना/अर्थदंड राशि QR कोड के माध्यम से जमा करना होगा।
19. किसी भी विद्यार्थी द्वारा हॉस्टल के प्रबधंक/कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने पर हॉस्टल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह आपको हॉस्टल से निष्काषित कर दें।
20. किसी भी विद्यार्थी को कमरें में भोजन, चाय–नाश्ता आदि बनाने अथवा ले जाने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में टिफिन मंगवाने की सुविधा प्रतिबंधित है।
21. विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास प्रशासन द्वारा कक्ष में दिए गए सामान (पलंग, गद्दा, गद्दे का कवर, पर्दे, अलमारी, चाबी, स्टडी टेबल, कुर्सी, डस्टबिन इत्यादि) को उचित हालत में वापस करना अनिवार्य होगा। दिए गए सामान में कमी होने पर सामान का मूल्य छात्रावास में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
22. यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ता है तो उसे छात्रावास का पूरा त्रैमासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही कॉशनमनी वापस नहीं होगी।
23. छात्रावास त्रैमासिक शुल्क निर्धारित माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।
24. **छात्रावास प्रशासन द्वारा छात्रावास से निष्कासन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है –**
    (1) विद्यार्थी ने यदि छात्रावास के उपरोक्त नियमों या संचालक मंडल की अवहेलना की हो।
    (2) विद्यार्थी ने या पालक/अभिभावक ने गलत जानकारी प्रस्तुत की हो।
    (3) नियमानुसार छात्रावास शुल्क नहीं जमा करने पर।
    (4) विद्यार्थी की उपस्थिति से अन्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो या विद्यार्थी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाये।
    (5) विद्यार्थी किसी अवांछित या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर।
    (6) ड्रग्स, सिगरेट, शराब, नशीली दवाई आदि के सेवन करने पर।
25. **छात्रावास नियमों का पालन किये जाने के सन्दर्भ में विद्यार्थी/अभिभावक को रू.100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
26. मेस संधारण सम्बन्धित सुझाव/शिकायतों के लिए छात्रावास में रजिस्टर उपलब्ध होगा। विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते है। किसी अन्य समस्या/शिकायत हेतु विद्यार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चीफ वार्डन को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
27. विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
28. कुलपति का निर्णय अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

(कुलसचिव)
Prof.(Dr.) P.Sasikala
Registrar